न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 05/2007

1. श्रीमती आपू पत्नि हजारी (फौत)
   - 1/1 कानसिंह पुत्र हजारी
   - 1/2 छोटी पुत्री हजारी
   - 1/3 कमला पुत्री हजारी
   - 1/4 नानी देवी विधवा बीरमसिंह
   - 1/5 संजू
   - 1/6 कालू दोनो नाबालिगान जरिये माता नानी देवी समस्त जाति रावत निवासी ग्राम खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर।
2. गोमी पत्नि बिरदा (फौत)
   - 2/1. टींकू रावत पुत्री स्व0 गोमी
   - 2/2. विकास पुत्र स्व0 गोमी
   - 2/3. सुमन पुत्री स्व0 गोमी
   - 2/4. विरेन्द्र पुत्र स्व0 गोमी, समस्त रावत निवासी ग्राम भवानी खेडा तहसील नसीराबाद, अजमेर
3. धापू पत्नि भीमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा, अजमेर। .....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. श्री बींजू पुत्र लाला रावत निवासी किशना की झोपडी विजयनगर, तहसील मसूदा
2. श्री प्रभु पुत्र श्री लाला रावत निवासी ग्राम जाटिया तहसील पीसांगन (अजमेर)

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

3. उगमा पुत्र बाला रावत
4. श्रवण पुत्र सायर रावत
5. सेवा सिंह पुत्र नारायण रावत
6. रामेश्वर पुत्र नारायण रावत
7. परमेश्वर पुत्र नारायण रावत
8. बिरदी बेवा मांगू रावत निवासी नाहरपुरा पो0 राजगढ पीसांगन अजमेर।

..... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शिवप्रकाश चौधरी — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री अमरसिंह राठौड — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

आदेश

दिनांक :– 13.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाटिया तहसील व जिला अजमेर के खाता सख्या 314 के कुल किता 16 रकबा 11–15–00 बीघा भूमि अपीलान्ट्स के पिता लाला पुत्र उमा की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात थी। इसी प्रकार खाता सख्या 315 के कुल किता 6 रकबा 10–06–00 बीघा भूमि अपीलान्ट्स के पिता लाला व बाला के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। खातेदार लाला के सन् 1976 मे देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा स्वयं को खातेदार लाला के अकेले वारिस बताकर विरासती नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 25.10.1977 अपने नाम तस्दीक करवा लिया गया। इसी प्रकार बाला का भी देहान्त दिसम्बर 2006 में हो चुका है। जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 लगायत 8 है। उनका भी नामान्तरकरण अभी भरा नहीं गया है। चूंकि इस खाते में बाला का

जिला कलक्टर
अजमेर

नाम संयुक्त रूप से होने के कारण बाला के वारिसान को भी अपील में पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट्स जो कि खातेदार लाला की जायन्दा पुत्रियॉ है, उन्हे विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 01 से 2 द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 25.10.1977 विधिक प्रावधानों के विपरीत स्वयं के पक्ष में स्वीकृत करवाये जाने से रूष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट्स को उनके स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण में दर्ज आराजी की मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति तथा किसी प्रकार से विक्रय, रहन, मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश आगामी तिथि तक नहीं किये जाने बाबत आदेश जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 02से 08 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। दौराने विचाराधीन अपील अपीलान्ट संख्या 01 आपू एवं अपीलान्ट संख्या 02 गोमी के फौत हो जाने से बाद कायम मुकाम कार्यवाही उनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अभिभाषक अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 01.01.2007 को हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा आराजी मुतनाजा को विक्रय किये जाने की कोशिश की गई। तब अपीलान्ट्स द्वारा जरिये अभिभाषक राजस्व रिकार्ड के बारे में मालूम करवाया तब उन्हे अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। दिनांक 6.1.2007 को आक्षेपित नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया नकल प्राप्त होने के तुरन्त बाद तारीख जानकारी के यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ग्रामीण महिलाऍ है अतः जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील, गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जाटिया तहसील व जिला अजमेर के खाता सख्या 314 के कुल किता 16 रकबा 11–15–00 बीघा भूमि अपीलान्ट्स के पिता लाला पुत्र उमा की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजियात थी। इसी प्रकार खाता सख्या 315 के कुल किता 6 रकबा 10–06–00 बीघा भूमि अपीलान्ट्स के पिता लाला व बाला के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। खातेदार लाला के सन् 1976 मे देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा स्वयं को खातेदार लाला के अकेले वारिस बताकर विरासती नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 25.10.1977 अपने नाम तस्दीक करवा लिया गया। इसी प्रकार बाला का भी देहान्त दिसम्बर 2006 में हो चुका है। जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 लगायत 8 है। उनका भी नामान्तरकरण अभी भरा नहीं गया है। चूंकि इस खाते में बाला का नाम संयुक्त रूप से होने के कारण बाला के वारिसान को भी अपील में पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट्स जो कि खातेदार लाला की जायन्दा पुत्रियॉ है, उन्हे विवादित आराजीयात से महरूम करने की नियत से उनका नाम विरासती नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। रेस्पो0 सं0 01 से 2 द्वारा तथ्य छुपाकर विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने पक्ष में स्वीकृत करवाया। स्व0 लाला की जाइन्दा पुत्रीयॉ होने के नाते पैतृक कृषि भूमियों में अपीलान्ट्स का भी विधिक हक, अधिकार एवं आधिपत्य निहित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी/जांच किये बिना तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपित

जिला कलक्टर
अजमेर

नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 25.10.1977 निरस्त कर स्व0 लाला पुत्र उमा की प्रश्नगत खातेदारी आराजियात में अपीलान्ट्स का नाम संयोजित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने कथन किया कि अपीलान्ट्स स्व0 लाला पुत्र उमा की पुत्रिया नहीं है। अपीलान्ट् द्वारा स्व0 लाला की पुत्रिया होने के सबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पंचायत दातां के सरपंच का सजरा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत को सजरा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट्स स्वयं को स्व0 लाला की पुत्रिया साबित करने में असफल रहीं है। ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार उन्हे यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है। नामान्तकरण कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। उतराधिकार के प्रश्न का निस्तारण नामान्तरण कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को वादग्रस्त भूमि के सबन्ध में स्वंय के अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। अपीलान्ट्स का प्रश्नगत आराजी में विधिक हक अधिकार साबित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त (2018) SUPREME COURT CIVIL REPORTS PAGE 686 MANGAMAL THULASI AND ANOTHER VS T.B. RAJU AND OTHERS 2014 (4) DNJ (RAJ) PAGE 1638, 2012(1) RRT PAGE 569 RRD (2007) पेज 311, RRD 2013 पेज 189, RRT 2011 (1) पेज 614, RRT 2015 (1) पेज 369, RBJ 2012 पेज 686, 2014(1) RRT PAGE 364 के उद्वरण उद्धत करवाये।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम जाटिया की प्रश्नगत आराजी बाबत तहसीलदार अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 25.10.1977 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 25.10.1977 को भरा गया है, जो अपील प्रस्तुति के करीब तीस वर्ष पूर्व तस्दीक किया गया है, अर्थात स्व0 लाला के विधिक वारिसान की जांच 30 वर्ष पूर्व की गई थी। अपीलान्ट्स द्वारा स्व0 लाला की पुत्रियॉ होने के सबंध में एक मात्र आधार ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरे की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे प्रश्नगत विवादित प्रकरण में विधिक आधार नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट्स द्वारा सरपंच द्वारा जारी उक्त सजरा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई ठोस विधिक आधार, प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य, खातेदार स्व0 लाला पुत्र उमा की पुत्रियॉ होने के बाबत प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी बाबत अपने विधिक हक अधिकार साबित करने में पूर्णतया असफल रहीं हैं। आराजी मुतनाजा बाबत् अंकित अंकन एवं उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। नामान्तरकरण एक फिक्सल प्रोसिडिंग है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। यदि विवादित आराजी बाबत कोई हक अधिकार बनता है तो अपीलान्टस अपने हकों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। सारांशतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर